कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com
दूरभाष- 05944 242400 फैक्स- 05944 243316

पत्रांक- 1510 /कर कक्ष/2022-23 P.B दिनांक- 23/8/22

"ई-निविदा सूचना"

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा निम्नलिखित निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	होर्डिंग/यूनिपोल विज्ञापन शुल्क वसूली	दि0 24.8.22 के 11:00 AM से दि0 8.9.22 के 11:30 AM तक	दि0 8.9.22 के 12:00 PM	कक्ष सं0 12
2.	डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) लगाये जाने हेतु निविदा	दि0 24.8.22 के 11:00 AM से दि0 8.9.22 के 11:30 AM तक	दि0 8.9.22 के 12:00 PM	कक्ष सं0 12

उपरोक्त ई-निविदा http://uktenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाओं की नियम व शर्तें नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com
दूरभाष- 05944 242400 फैक्स- 05944 243316

पत्रांक- 1510/1, to 1510/7 /कर कक्ष/2022-23 P.B दिनांक- 23.8.22

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. सम्पादक अमर-उजाला एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनाक 24.8.22 के अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्तें उत्तराखण्ड की वेबसाइट http://uktenders.gov.in व नगर निगम, रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टैण्डर खोलना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 के अनुपालन में –नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन लगाने हेतु ई–निविदा (2022–24) की शर्ते एवं प्रावधान:–

1. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) लगवाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु प्रत्येक डिजिटल के लिए न्यूनतम बोली की धनराशि रू0 48,000.00 (रू0 अड़तालीस हजार मात्र) दो (02) वर्ष तक के लिय निर्धारित है। अतः प्रत्येक डिजिटल हेतु अलग–अलग निविदा भी डाली जा सकती है।
3. उच्चतम निविदादाता की दरें (ठेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को कार्यादेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के समय–समय पर हुए आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि या उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और मा0 न्यायालय के आदेश पर कोई भी डिजिटल स्क्रीन हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में डिजिटल स्क्रीन को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्ही 05 वर्षो में से (वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21) किन्ही 03 वर्षो का प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी0ए0 द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण/Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही मान्य) मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द नही किया गया है, ई–निविदा के साथ–साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित प्रत्येक निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (रू0 4,800.00 मात्र) धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई–निविदा के साथ मूलरूप मे नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
7. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा निविदा की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।

9. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।

10. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई घटना/दुर्घटना होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार की होगी।

11. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) का अधिकतम साईज 6.0मी0x3.0मी0 से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2.5 मी0 से कम नहीं होगा या स्थल के अनुसार कम करना होगा। यूनिपोल चिन्हित किये गये स्थलों पर ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।

12. निविदादाता को प्रत्येक एक घंटे के पश्चात 5 मिनट मा0 न्यायालय/राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम की योजनाओं इत्यादि से सम्बन्धित विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

13. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। **"निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है"।**

14. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

15. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। विद्युत बिलों एवं अन्य उपकरणों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।

16. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फैलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले विज्ञापन तथा शान्ति एंव कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले विज्ञापन प्रसारित नहीं किये जायेंगे।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहां अपील की जा सकती है।

18. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जिला उधम सिंह नगर होगा।

19. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

20. सम्बन्धित डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) एजेन्सी को समय-समय पर जारी मा0 न्यायालय/जिला प्रशासन/निगम के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

21. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों या फर्म के किसी भी कार्मिक के साथ घटना/दुर्घटना पर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कर्मिकों का नियमानुसार पी0पी0 एफ0, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।

22. निविदादाता को अपना स्थायी/अस्थायी पता व मोबाईल व ई-मेल जिस पर उससे सम्पर्क किया जा सके देना अनिवार्य होगा व इसके परिवर्तन की दशा मे उसे तत्काल विभाग को सूचित करना होगा। निविदादाता को मोबाईल पर दी गयी सूचना नोटिस की भांति ही समझी जायेगी।

23. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट या कार्टल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

24. डिजिटल स्क्रीन का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार ही रखना होगा।

25. प्रत्येक डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार ससाधित धातु (स्टील) के होंगे,

26. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 6 मी० से अधिक नही होगी।

27. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय–समय पर ठेकेदार द्वारा यूनीपोल का अनुरक्षण (Maintenance)किया जायेगा

28. सभी डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली–भांति मरम्मत किये जाये, जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा समय–समय पर उनका रंग–रोगन किया जायेगा जिससे नगर की सुन्दरता बनी रहे।

29. अनुबन्धकर्ता का यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा घेरे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

30. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

31. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी०पी०पी० मोड़ में प्रस्तावित ऐसी योजनाएँ जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हो, पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

32. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहीत प्रविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।

33. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबंधकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

34. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

35. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में ई–निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होगी, तथा उपरोक्त मे से किसी भी शर्त के उल्लघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में रू0 5,000/– दूसरी बार मे रू0 10,000/– जुर्माना व तीसरी बार में ठेके निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

37. **स्क्रैप की नीलामी**– नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, गार्टर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, ग्रिल, घेरा, ढॉचा आदि को चाहे वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़ंजा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त, नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रैप व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि–

(क) निविदा दरें निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।

(ख) प्रस्तावित डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनधिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर

ऐसी रिति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो,

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

डिजिटल स्क्रीन लगाये जाने हेतु चयनित स्थल

क्र.सं.	चयनित स्थल	साइज	राशि
1	नगर निगम सीमा समाप्ति बोर्ड के पास डिग्री कॉलेज के दांयी ओर।	15X8	48,000.00
2	एस0बी0आई0 इन्द्रा चौक के पास।	15X8	48,000.00
3	गाबा चौक धर्मकाटे के साथ पेट्रोल पम्प के पास।	15X8	48,000.00
4	सुभाष चन्द्र बोस चौक पर सीटीक्लब दीवार की ओर।	15X8	48,000.00
5	पाल फोर्ड शोरूम के पास डिवाइडर के प्रारम्भ में।	15X8	48,000.00
6	डी0डी0 चौक स्थित पानी की टंकी के साथ अथवा डी0डी0 चौक स्थित राम सुमेर शुक्ला बोर्ड के पास पेट्रोल पम्प में।	15X8	48,000.00

विज्ञापन शुल्क वसूली ई–निविदा की निर्धारित **Key Dates** निम्नानुसार है:–

S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	24-08-22	11.00 AM
2	Documents download start date	24-08-22	11.00 AM
3	Bid submission start date	24-08-22	11.00 AM
4	**Pre Bid Conference Date**	—	**12.30 PM**
5	Bid submission End date	08-09-22	11.30 AM
6	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	08-09-22	11.30 AM
7	Bid Opening Date	08-09-22	12.00 PM

(निशा दूबे)
कर एवं रा0 मौहर्रिर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(डा0 गायत्री देवी)
कर निरीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(लता आर्या)
कर अधीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(विशाल मिश्रा)
I.A.S
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(रामपाल सिंह)
मा0 महापौर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर